

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला-सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुंतला, R.A.S

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या- 66/2023

प्रार्थीगण

हिम्मताराम पुत्र वीराराम जी जाति मीणा बनाम
निवासी बडगांव तह0 शिवगंज जिला
सिरोही
विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राव

अप्रार्थी

1. गीता पुत्री वीराराम मीणा
2. नारायणलाल पुत्र वीराराम मीणा
3. मांगीलाल पुत्र नगाजी मीणा
4. हंजा पत्नी वीराराम मीणा
निवासीगण बडगांव तह0 शिवगंज
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
शिवगंज व अन्य

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक 17.05.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगणों का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव भू-अभिलेख निरीक्षक शिवगंज, तहसील शिवगंज में स्थित खाता सं0 421 में खसरा नम्बर 183/4 (वास्तविक/मूल खसरा सं0 183) रकबा 1.1331 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त खसरा नं0 की भूमि संवत् 2073-2076 की खतौनी में राजस्व कर्मचारी/पटवारी द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि का तरमीम त्रुटिवश गलत कर दिया गया है। राजस्व रेकॉर्ड में जो खसरा 183/4 प्रार्थी का दर्शाया गया है। वास्तविक तौर पर मौका स्थिति व पूर्वानुसार प्रार्थी उक्त खसरे पर कभी भी काबिज नहीं रहा है। प्रार्थी उक्त खसरे के मूल खसरा नं0 183 के हिस्से पर 60 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज काश्त है। जबकि राजस्व कर्मचारी/पटवारी द्वारा त्रुटिवश उक्त खसरे का तरमीम राजस्व रेकॉर्ड में गलत दर्ज किया जाकर प्रार्थी को खसरा नं. 183/4 गलत काबिज बताकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। जिसे सुधार किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बडगांव के खसरा नं0 183/4 रकबा 1.1331 हैक्टयर की तरमीम DILRMP के तहत की गई है। पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का कब्जा खसरा नं0 183 में होने से तरमीम संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित नक्शा संलग्न भिजवाया गया है।

दिनांक 17.05.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता व तहसीलदार शिवगंज की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तरमीम शुद्धी किये जाने का कथन किया। जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने अपनी सहमति प्रदान की। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से भी प्रार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि होती है अतः वर्तमान तरमीम को दुरुस्त किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

—::आदेश::—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 183/4 रकबा 1.1331 हैक्टर भूमि का माफिक कब्जा व नक्शा लटठा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरुस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। तहसीलदार शिवगंज को उक्त निर्णय तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ेसल शुमार होकर नं० से कम हो।



यह निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 292
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :-
तहसीलदार शिवगंज ।

(शकुंतला, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 17.05.2024

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)